



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-268003
CG-DL-E-27112025-268003

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5247]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947

No. 5247]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5425(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के, सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ.२६१८(अ) तारीख १३ जून २०२५ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन एन.एच. ४८ (पुराना एन एच-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव-चाकण-शिक्रापुर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४/०० से कि.मी. ८२/१२० (शिक्रापुर- न्हावरा खंड) डिजाईन लंबाई २८/१२० कि.मी. तक के निर्माण (चौड़ीकरण / दो लेन पेड़ शोल्डर के साथ का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपावधि अनुसूची में विर्तिदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन का.आ.२६१८(अ) तारीख १३ जून २०२५ में तारीख १६ जुलै २०२५ को “हिंदुस्तान टाईम्स” और “प्रभात” में प्रकाशित किया गया था;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विलंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन एन.एच. ४८ (पुराना एन एच-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव-चाकण-शिक्रापुर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४/०० से कि.मी. ८२/१२० (शिक्रापुर-न्हावरा खंड) डिजाइन लांबाई २८/१२० कि.मी लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शिरूर					
गांव का नाम: न्हावरा					
1	११३३ भाग	निजी	असिंचित	0.082	चंद्रकांत शामराव निंबाळकर, बालकृष्ण शामराव निंबाळकर, वसंत शामराव निंबाळकर, जयकृष्ण शामराव निंबाळकर, महेंद्र शामराव निंबाळकर, कैलास शामराव निंबाळकर, रुपाली विठोबा निंबाळकर, स्वाती

					दत्तात्रय शेलार, दत्तात्रय प्रकाश शेलार, आदेश शामराव निंबाळकर, लोकसेवा ग्रामीण विगरशेती सह.पतसंस्था मर्या.,न्हावरे. 1133 Part
2	१२ भाग	सरकारी	असिंचित	0.003	मंडळ न्हावरे अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन शिक्षण प्रसारक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे, ग्रामपंचायत न्हावरे, मानद सचिव पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ पुणे. 12 Part
3	३ भाग	निजी	असिंचित	0.004	दगड खानिकडे 3 Part
4	८८३ भाग	निजी	असिंचित	0.17	सूर्यकांत गंगाधर कोरेकर, विकास गंगाधर कोरेकर, प्रकाश गंगाधर कोरेकर, विलास गंगाधर कोरेकर, सतीश गंगाधर कोरेकर, सुनीता राजेंद्र थोरात, श्री मल्लिकार्जुन वि.का.स.सो. 883 Part
Total				0.259	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5425(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Notification number **S.O.2618(E) dated 13 June 2025**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening/two lane with paved shoulder etc.,) maintenance,management and operation of Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavara Section of NH-548 Km 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavara Section) Design Length-28.120 Km configuration in District Pune in the state of Maharashtra**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 2618(E) dated 13 June 2025**, has been published in **“Hindustan Times”** And **“Prabhaat”** Both Dated **16 July 2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEUDLE

Brief description of the Land Acquisition on Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavara Section of NH-548 Km 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavara Section) Design Length-28.120 Km in District Pune in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shirur					
Village: Nhavara					
1	1133 Part	Private	Unirrigated	0.082	Chandrakant Shamrao Nimbalkar, Balkrishna Shamrao Nimbalkar, Vasant Shamrao Nimbalkar, Jaykrishna Shamrao Nimbalkar, Mahendra Shamrao Nimbalkar, Kailas Shamrao Nimbalkar, Rupali Vithoba Nimbalkar, Swati Dattatray Shelar, Dattatray Prakash Shelar, Aadesh

					Shamrao Nimbalkar, Loksewa Rural Non- Agricultural Cooperative Credit Society, Nhaware 1133 Part
2	12 Part	Government	Unirrigated	0.003	Board Nhaware President, Shri Mallikarjun Education Prasarak, Chief Executive Officer Zilla Parishad Pune, Gram Panchayat Nhaware, Honorary Secretary Pune District Education Board Pune. 12 Part
3	3 Part	Private	Unirrigated	0.004	Dagad Khanikade 3 Part
4	883 Part	Private	Unirrigated	0.17	Suryakant Gangadhar Korekar, Vikas Gangadhar Korekar, Prakash Gangadhar Korekar, Vilas Gangadhar Korekar, Satish Gangadhar Korekar, Sunita Rajendra Thorat, Shri Mallikarjun V.K.A.S.SO. 883 Part
Total				0.259	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director